

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 13/2015

संस्थित दिनांक-06.11.2008

फाईलिंग नंबर-230303001692008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. अखिलेश पुत्र मेघसिंह राजपूत उम्र 34 साल
निवासी मडैपुरा थाना आरोली जिला भिण्ड
2. सोनू उर्फ अरविन्द पुत्र सुरेश पचौरी उम्र 35 साल
निवासी अमायन थाना अमायन

-----पूर्व निर्णित आरोपीगण

3. मण्टू उर्फ केशव पुत्र थानसिंह राजपूत
निवासी खैरोली थाना अमायन जिला भिण्ड

-----उपस्थित अभियुक्त

4. पंचम पुत्र बाबू कुशवाह उम्र 29 साल
निवासी रुहेरा थाना डीपार जिला दतिया

-----फरार अभियुक्त

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
आरोपी मण्टू उर्फ केशव द्वारा श्री मनोज श्रीवास्तव अधिवक्ता

---:- निर्णय ---:-

(आज दिनांक 2 अगस्त 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त मण्टू उर्फ केशव के विरुद्ध धारा 392 भादवि एवं धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16-17 जून-2008 के बीच की रात अमायन तिराहा थाना मौ के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में परिवादी रघुवीर और उसके साथी के 53 बकरे बकरियाँ, एक टाटा गाड़ी क्रमांक-एम0पी0-07एल-672 लूट की।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि मूल अभियोग पत्र आरोपीगण पंचम, सोनू पुत्र गंभीरसिंह, अखिलेश राजपूत, मण्टू उर्फ केशव, सोनू उर्फ अरविंद पचौरी, सत्यवीर उर्फ गदू, कुंअरसाहब एवं रघुराज के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था जिनमें से आरोपीगण सोनू पुत्र

गंभीरसिंह, सत्यवीर उर्फ गदू, कुंअरसाहब उर्फ कुंअरसिंह एवं रघुराज को आदेश दिनांक 26.02.14 में पारित आदेशानुसार उन्मोचित किया जा चुका है तथा आरोपीगण सोनू पचौरी एवं अखिलेश राजपूत निर्णय दिनांक 05.01.2015 अनुसार दोषमुक्त हो चुके हैं तथा आरोपी पंचम को फरार घोषित किया जा चुका है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी रघुवीर बकरा बकरी खरीदने का काम करता है तथा बिजौली का रहने वाला है। वह इलाके से बकरे बकरी खरीदकर काल्पी में मंगलवार को लगने वाली हाट में ले जाकर बेचता है। तथा उसके साथ अशोक खटीक भी पिछले कुछ समय से यही काम करत है। वह लोग जानवर खरीदकर एवं जानवरों के अनुसार वाहन किराये पर लेकर सोमवार की रात को मौ स्योढा रोड होकर सुबह तक काल्पी पहुंच जाते हैं। दिनांक 16-17.06.08 की रात को नौ बजे वह बिजौली से टाटा मिनी लोडर क्रमांक-एम0पी0-07एल-672 में अपने बकरे बकरी कुल नग 53 जिनमें 34 बकरे व 19 बकरियों लादकर काल्पी के लिये रवाना हुए थे। गाड़ी नायक सिंह राठौर चला रहा था। रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे उन्होंने मौ के आगे ढाबे पर रुककर खाना खाया था और उसके बाद रवाना हुए थे। अमायन मोड़ पर व गाड़ी रोककर पेशाब आदि करने के लिये नीचे उतरे थे कि तभी चार अज्ञात लोग उनकी खड़ी गाड़ी पर आ गये। उनमें से एक ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से अमायन तरफ भगा ले गये। बाकी तीन लोग गाड़ी पर चढ़ गये। वह तीनों पैदल होने से पीछे नहीं जा पाये। उधर से दो डंफर भी निकले जिन्हें रोकने का प्रयास किया तो वह नहीं रुके। वह उनके सामने उनकी गाड़ी को अमायन तरफ ले गये। वह व अशोक प्रत्येक सोमवार का रात का इधर से निकलकर काल्पी जाते हैं अतः उनकी गाड़ी चुराने के उद्देश्य से ही यह घटना की है। वह लोग अपने बकरे एवं बकरियों पर बाल काटकर निशान बना देते हैं इसलिये सामने आने पर पहचान लेंगे। अशोक व नायक पता लगाने के लिये सेवढा तथा काल्पी तरफ चले गये हैं।

4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी मौ को करने पर अप0क्र0-48/2008 पर धारा-379 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन, आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं जप्ती, व मेमोरेण्डम की कार्यवाही के उपरान्त प्रकरण में धारा-392 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का इजाफा किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त मन्दू उर्फ केशव के विरुद्ध धारा 392 भा0द0वि0 एवं धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने आरोप अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपी की ओर से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- क्या आरोपी मन्दू उर्फ केशव ने दिनांक 16-17.06.2008 की दरम्यानी रात्रि में अमायन तिराहा थाना मौ के क्षेत्र में सहअभियुक्तगणके साथ में मिलकर सामान्य आशय बनाते हुए उसके अग्रसरण में फरियादी रघुवीर एवं उसके साथी अशोक और नायकसिंह के आधिपत्य से 53 नग बकरे बकरियों एवं गाड़ी क्रमांक-एम0पी0-07एल-672 मय उसमें रखी बंदूक व मोबाईल के लूट कारित की ?

---निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 1 का निराकरण

7. इस संबंध में परीक्षित साक्षियों में से घटना की रिपोर्ट करने वाले फरियादी रघुवीरसिंह अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 16 जून-2008 की रात्रि में वह बकरा बकरी बेचने के लिये टाटा ए0सी0 गाडी (छोटा हाथी) से काल्पी जा रहा था। उसके साथ अशोक व गाडी मालिक नायक सिंह राठौर भी मौजूद थे। रास्ते में रूपावई की पुलिया के पास कुछ लोगों ने लकड़ी डालकर मार्ग बाधित कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें अपनी गाडी रोकना पड़ी थी और गाडी रुकते ही पुलिया के अंदर से चार पांच बदमाश निकलकर आये थे जिन्होंने उनकी गाडी का गेट खोलकर उसके बांये हाथ में बंदूक के बट से मारा था। बदमाशों ने उन तीनों को गाडी से बाहर निकालकर मारपीट की थी और उनके पास जो पैसे थे वह भी छुड़ा लिये थे। उनकी गाडी मय बकरियों के छुड़ाकर ले गये थे। चार पांच बदमाशों में से एक ड्रायवर भी था जो गाडी का चला ले गया था। बदमाशों ने उसे व उसके साथियों को पकड़कर बिठाये रखा था। चोटें पहुंचाई थीं। उसके कुछ समय बाद वह रूपावई भाग कर गया था और वहाँ के सरपंच से उसने थाने पर फोन से सूचना कराई थी। फिर आधा एक घण्टे बाद पुलिस आ गयी थी। दूसरे दिन 17.06.08 को सुबह थाना मौ में उसने प्र0पी0-1 की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उसकी निशादेही पर प्र0पी0-2 का नक्शामौका बनाया था तथा थाने पर बकरियों की शिनाख्त कराई थी। कुल 53 बकरे बकरी थे। साक्षी ने प्र0पी0-1 लगायत 3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार करते हुए ऐसा ही पुलिस को कथन में भी बताना कहा है। घटना किन लोगों के द्वारा उनके साथ कारित की गई, इसकी उसे जानकारी नहीं है। न ही आरोपीगण को वह पहचान पाया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलिस ने जेल में भी उससे पहचान कराई थी। लेकिन उसने किसी को नहीं पहचान पाया था। और घटना करने वाले उसे वहाँ नहीं दिखे थे। इस बात से उसने पक्ष विरोधी होते हुए इन्कार किया है कि घटना कारित करने वाले आरोपियों को उसने पहचान लिया था और आरोपीगण से समझौता हो जाने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है।

8. नायकसिंह अ0सा0-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में अ0सा0-1 की तरह ही साक्ष्य देते हुए यह बताया है कि वह रिटायर्ड फौजी है और रिटायरमेंट के बाद उसने टाटा मैजिक (छोटा हाथी) माल ढोने के लिये ली है जिसका क्रमांक-एम0पी0-07 एल-672 है। रघुवीर व अशोक खटीक उसकी लोडिंग गाडी से बकरा बकरी भरकर काल्पी उत्तरप्रदेश की हाट में जून-2008 में लेकर गये थे। वह भी अपनी गाडी के साथ गाडी को चलाकर ले गया था जिसमें 52-53 बकरा बकरी थे। रास्ते में अशोक के कहने पर उसने खाना खाने के लिये गाडी मौ थाने से थोड़ा आगे रोक दी थी। वहाँ खाना खाया था। खाने के बाद वह चले थे तो रूपावई की पुलिया के पास रास्ते में कुछ लोगों ने एक मोटा पेड़ काटकर रास्ता जाम कर दिया था। बारिश हो रही थी। उन्होंने गाडी रोककर पेड़ हटाने की कोशिश की। तब आठ दस लोगों ने आकर उन्हें घेर लिया था जिनमें से दो बंदूक लिये थे। बाकी लाठी डण्डे लिये थे जिन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया था। मारपीट कर खेतों की तरफ ले गये थे और वहाँ कुएं से रस्सी निकालकर उसे व अशोक को पेड़ से बांध दिया था। रघुवीर भागने में सफल हो गया था तथा उनकी गाडी मय बकरा बकरियों के अमायन तरफ लेकर भाग गये थे। फिर उसने दांतों से रस्सी खोली थी और घुटनों के बल चलकर रूपावई की तरफ पहुंच कर उन्होंने एक श्रीवास्तव की सहायता से पुलिस को मोबाईल से सूचना दी थी। रघुवीर रात को पुलिस थाने पहुंच गया था। पुलिस ने लुटेरों की तलाश की थी और उन्हें बस में बिठाकर काल्पी रवाना कर दिया था।

9. इस साक्षी ने यह भी बताया है कि जिन लोगों ने उनके साथ घटना की थी, वह मुंह बांधे हुए थे व रात थी इसलिये वह पहचान नहीं पाये थे। लेकिन उसने यह कहा है कि

घटना करने वाल 25-30 वर्ष की उम्र के थे और उनकी बातचीत के तरीके से वह मौ तरफ के लग रहे थे। दूसरे दिन पता करने पर जानकारी मिली थी कि मौ पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी है फिर एस0पी0 को शिकायत करने पर रिपोर्ट लिखी गई थी और दूसरे दिन उसकी गाड़ी व बकरे बकरियों बरामद हुए थे। तथा गाड़ी में उसके बारह बोर की बंदूक सीट के नीचे उसने छुपाकर रखी थी और मोबाईल भी रखा था। उन्हें भी लूट ले गये थे। वह भी बरामद हुए थे तथा त्रिपाल व कारतूस का पट्टा भी बरामद हुआ था जो उसे सुपुर्दगी पर मिल गया था। उसका मोबाईल नोकिया कंपनी का था और उसमें आईडिया कंपनी की सिम क्रमांक-9753938971 डली थी। मवेशियों को भी ग्वालियर से रात के आठ साढ़े आठ बजे लादकर ले गये थे। कुछ मवेशी बिजौली से भी लोड किये थे और रास्ते में यादव होटल पर उन्होंने रात ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे खाना खाया था।

10. अशोक कुमार अ0सा0-9 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यही बताया है कि 6-7 साल पहले की घटना है। वह बकरे बेचने के लिये ग्वालियर से कालपी जिला जालौन उत्तरप्रदेश लोडिंग गाड़ी से जा रहा था। मौ कस्बे में गाड़ी रोककर उन्होंने खाना खाया था। उसके बाद कालपी की ओर चले थे तो अमायन मोड़ पर एक मोटी लकड़ी पड़ी थी जिसे हटाने के लिये वह नीचे उतरे थे और लकड़ी को एक तरफ करके पेशाब करने लगे तब चार बदमाश आ गये थे जिनमें से एक के पास बंदूक थी और आते ही बदमाशों ने उनकी डण्डों से मारपीट शुरू कर दी थी। उस समय रात के बारह एक बजे का समय था। उनके साथ एक ड्रायवर भी था। गाड़ी मालिक भी था। उन तीनों को बदमाशों ने बांधकर डाल दिया था और एक बदमाश गाड़ी चलाकर व तीन गाड़ी में बैठकर गाड़ी ले गये थे। फिर वे थाना मौ रिपोर्ट को गये थे। उनके साथ बकरे बेचने वाला रघुवीर भी था। रघुवीर ने थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी। इस साक्षी ने भी यह कहा है कि बदमाश मुंह बांधे थे और रात का समय था इसलिये उन्हें नहीं पहचान सके थे। उसकी बकरियाँ मिल गयी थीं जिनकी पहचान की कार्यवाही कस्बा मौ में हुई थी जिसके शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी0-3 पर भी उसने सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं और यह कहा है कि लूट करने वाले 25-26 साल की उम्र के थे।

11. डी0एस0पी0 धर्मवीरसिंह भदौरिया अ0सा0-11 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 17.06.08 को थाना प्रभारी के पद पर थाना मौ में पदस्थ रहते हुए यह बताया है कि उक्त दिनांक को फरियादी रघुवीर खटीक ने उसे अज्ञात के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि अमायन तिराहा के पास से उनके 53 नग बकरा बकरी मय टाटा गाड़ी नंबर-एम0पी0-07एल-672 अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिये गये थे जिस पर से उसने धारा-379 भा0द0वि0 के तहत अप0क0-48/08 दर्ज कर प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 दर्ज की थी जिस पर बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर बताये हैं और उक्त दिनांक को ही फरियादी रघुवीर की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-2 तैयार करना तथा रघुवीर, नायकसिंह एवं अशोकसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना कहा है। यह भी बताया है कि नायक सिंह व अशोक सिंह के कथनों के आधार पर उसने धारा-392 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का इजाफा किया गया था।

12. उपरोक्त साक्षियों की ऊपर वर्णित साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है जिससे प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 प्रमाणित होती है। जहाँ तक बचाव पक्ष के द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि विवेचक अ0सा0-11 ने यह स्वीकार किया है कि उसे चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और उसने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की थी, उससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि घटना के जो तथ्य हैं, उसके मुताबिक लोक मार्ग से गाड़ी मय मवेशियों व रखे सामान के बिना अनुमति के बलपूर्वक ले जाया जाना बताया गया है जिससे यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक 16-17 जून-2008 की दरम्यानी रात्रि में अमायन तिराहा लोक मार्ग से फरियादी रघुवीर के आधिपत्य से

टाटा गाड़ी क्रमांक-एम0पी0-07एल-672 जिसमें 53 नग बकरा बकरी थे तथा और भी सामान था, उसे चार अज्ञात लोग लूटकर ले गये। हालांकि प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 में लूट शब्द का उल्लेख नहीं है और विवेचक अ0सा0-11 साक्षी अशोक और नायकसिंह के कथनों के आधार पर लूट डकैती के अपराध का इजाफा करना बताता है। अशोक व नायकसिंह के पुलिस कथन साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुए हैं। एफ0आई0आर0 में यह उल्लेख अवश्य नहीं है कि रास्ते में अमायन मोड़ पर लकड़ी डालकर रास्ता अवरुद्ध किया गया हो जिसके कारण गाड़ी रोकनी पड़ी और लकड़ी हटाते समय उनके साथ लूट की घटना हुई बल्कि अमायन मोड़ पर पेशाब करने के लिये गाड़ी को रोकना, उसी समय चार अज्ञात लोगों के द्वारा आकर गाड़ी ले जाना बताया गया है, यह तात्विक विरोधाभास अवश्य है।

13. इसके अलावा तीनों ही साक्षी रघुवीर अ0सा0-1, नायकसिंह अ0सा0-5 व अशोक अ0सा0-9 अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में लूट करने वाले बदमाशों के द्वारा मारपीट करना भी बताते हैं। किन्तु इसका कोई दस्तावेजी या चिकित्सीय प्रमाण नहीं है। तीनों ही साक्षियों का कोई मेडिकल परीक्षण अनुसंधान के दौरान कराया जाना नहीं बताया गया है। इसलिये यह तथ्य कि बदमाशों ने उन्हें मारा पीटा, रस्सी से पेड़ से बांधकर रखा, का अभिसाक्ष्य विकासात्मक स्वरूप का है। यदि न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को पूर्णतः स्वीकार कर भी लिया जावे तब भी केवल लूट की घटना ही उनके साथ होना ही प्रमाणित होता है। जिसमें 53 नग बकरे बकरियाँ टाटा गाड़ी जिसके अंदर नायक सिंह की लायसेन्सी बंदूक व मोबाईल भी रखा था, वह लूटकर ले जायी गई ही प्रमाणित हो सकता है। तीनों ही साक्षियों ने आरोपीगण की न तो पहचान की है न ही पहचानने की कोई साक्ष्य दी है। बल्कि रात होकर अंधेरा होना और मुंह पर कपड़ा बंधे होने के कारण वह पहचान ही नहीं सके हैं, ऐसी स्पष्ट साक्ष्य दी है। रघुवीर ने जेल में भी पहचान से इन्कार किया है। अभिलेख पर जेल में कराई गई शिनाख्ती परेड का पंचनामा अभियोग पत्र का अंग बनाया गया है जिसमें भी पहचान असफल रहना बताई गई है जिसका न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है। इससे उक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उनके साथ जो लूट की जो घटना हुई वह विचाराधीन आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा कारित की गई। इसलिये किन लोगों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया, इसके बारे में शेष साक्षियों की अभिसाक्ष्य के आधार पर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हुए विश्लेषित करना होगा क्योंकि अ0सा0-1, अ0सा0-5 और अ0सा0-9 के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य नहीं आया है कि घटना किन लोगों ने कारित की थी न ही उन्होंने आरोपीगण को पहचाना है।

14. अन्य परीक्षित साक्षियों में से मुलूसिंह कुशवाह अ0सा0-2 जिसे कथानक मुताबिक लूटे गये बकरे बकरियों की बरामदगी के उपरान्त शिनाख्ती कराये जाने वाले साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में केवल इतना बताया है कि वर्ष 2008 में वह नगर पंचायत मौ में उपाध्यक्ष था। और पुलिस सोनू पचौरी के घर आई थी। वहाँ उसे बुलाया था तथा पुलिस वालों ने उसे यह बताया था कि किसी खटीक की बकरियाँ वापिस हो रही हैं, सुपुर्दगी पर हस्ताक्षर कर दो तो उसने प्र0पी0-3 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर करके उपाध्यक्ष की सील लगाकर कागज पुलिस को दे दिया था। उस समय बकरा बकरी नहीं थे और कोई कार्यवाही नहीं हुई। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मौ के परिसर में पहचान की कार्यवाही कराये जाने से उसने इन्कार किया है। इस तरह से प्र0पी0-6 के जप्ती पत्रक मुताबिक जो बकरे बकरियाँ जप्त होना बताई गई उसकी शिनाख्ती की कार्यवाही वर्तमान में नहीं हुई है। रघुवीर अ0सा0-1 ने भी शिनाख्ती की कार्यवाही विद्यालय के परिसर में होने का समर्थन न करके थाने पर पुलिस द्वारा शिनाख्ती कराये जाने की बात कही है। इससे प्र0पी0-3 प्रमाणित नहीं होता है और उसके संबंध में अशोक कुमार अ0सा0-9 ने भी प्र0पी0-3 अनुरूप समर्थन नहीं किया है बल्कि कस्बा मौ में बकरियों की पहचान बताई है। किन्तु किसने कराई इसके बारे में वह मौन

है। ऐसे में प्र0पी0-3 को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

15. घटना के विवेचक डी0एस0पी0 धर्मवीरसिंह भदौरिया अ0सा0-11 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 18.06.08 को सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण में लूटे हुए वाहन टाटा वाहन क्रमांक-एम0पी0-07एल-672 रहावली से रौन मार्ग पर सड़क के बाईं ओर पलटी हुई अवस्था में पानी में से बरामद करना और उसका प्र0पी0-14 का पंचनामा बनाना बताया है तथा सूचना के आधार पर ही उक्त दिनांक को छक्कीलाल पुत्र सुंदर कुशवाह निवासी रुहैरा के हार में उसकी उजाड़ पड़ी तिवरिया से 34 बकरे व 19 बकरियाँ कुल 53 नग बरामद कर प्र0पी0-6 तैयार करना बताया है। जिसके संबंध में उक्त विवेचक की अभिसाक्ष्य में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं तथा प्र0पी0-6 का समर्थन निहालसिंह अ0सा0-6 और रामवीर सिंह अ0सा0-7 के द्वारा किया गया है जिससे प्र0पी0-6 का जप्ती पत्रक प्रमाणित हो जाता है और यह भी प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 18.06.08 को विवेचक को मिली सूचना के आधार पर उसने छक्की लाल की उजाड़ पड़ी तिवरिया से बकरे बकरियों की जप्ती प्र0पी0-6 अनुसार की गई थी किन्तु जप्त किये गये बकरा बकरियाँ फरियादी के ही थे, इस संबंध में प्र0पी0-3 का शिनाख्ती पंचनामा प्रमाणित न होने से जप्ती संदिग्ध है।
16. यद्यपि प्र0पी0-19 के सुपुर्दगीनामा के मुताबिक जप्त हुए बकरा बकरी अशोक व रघुवीर को न्यायाल से सुपुर्दगी पर प्रदान किये गये थे जिसके संबंध में घटना के विवेचक अ0सा0-11 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-4 में बताया है उसके आधार पर यदि ऐसा मान भी लिया जावे कि जो बकरा बकरी जप्त हुए वह फरियादीगण रघुवीर, अशोक के लूट हुए ही थे तब भी चूंकि अज्ञात स्थान से जप्ती हुई है, किसी आरोपी से बकरा बकरी जप्त नहीं हुए हैं इसलिये विचाराधीन आरोपीगण में को उससे कड़ी के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है।
17. इसी प्रकार प्र0पी0-14 मुताबिक फरियादी की गाड़ी भी रहावली व रौन मार्ग पर सड़क किनारे पानी में पड़ी अवस्था में जप्त हुई है जिसके संबंध में भी अ0सा0-11 ने ही बताया है। अन्य कोई उसका पंच साक्षी परीक्षित नहीं हुआ है। वह भी खुले स्थान से जप्ती हुई है। किसी आरोपी के आधिपत्य से जप्ती नहीं हुई है। इसलिये बकरा बकरी और वाहन की जप्ती से आरोपीगण के विरुद्ध कोई निष्कर्ष प्राप्त करने के लिये कोई उपधारणा निर्मित नहीं होती है।
18. प्रकरण में आरोपीगण को अनुसंधान के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें पकड़ा जाना, पूछताछ किया जाना, पूछताछ किये जाने पर दिये गये मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर हुई जप्ती पर अभियोजित किया गया है इसलिये उनसे संबंधित गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम व जप्ती के दस्तावेजों के बारे में यह मूल्यांकन करना होगा कि क्या वे विधिक रूप से प्रमाणित कराये गये हैं और क्या उससे आरोपीगण कड़ी के रूप में घटना से युक्तियुक्त संदेह से परे जोड़े जा सकते हैं।
19. विचाराधीन आरोपी मन्टू उर्फ केशव को प्र0पी-10 गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया जाना और उससे प्र0पी0-8 मुताबिक एक नोकिया 2310 मोबाइल जब्त किया जाना बताया गया है जिसमें कोई सिम नहीं थी जिसके संबंध में विवेचक धर्मवीर सिंह भदौरिया (अ0सा-11) ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि प्रधान आरक्षक राघवेन्द्र सिंह (अ0सा0-8) के द्वारा उसका समर्थन किया गया है। किंतु उक्त मोबाइल की जब्ती से आरोपी मन्टू उर्फ केशव का अभियोजन कथानक में बताई घटना में संदिग्ध होने की पुष्टि नहीं होती है और विवेचक अ0सा0-11 ने पैरा 10 में यह स्वीकार किया है कि उसे साक्षी नायक सिंह एवं अशोक ने अपने पुलिस कथनों में आरोपी मन्टू के नाम का न तो कोई जिक्र किया था न ही कद काठी हुलिया बताया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि विवेचना के लिए उसने रोजनामचा सान्हा में खानगी एवं वापिसी का इंद्राज किया था लेकिन कोई रोजनामचा सान्हा प्रकरण में पेश नहीं किया है।

20. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि रोजनामचा सान्हा इस कारण पेश नहीं किया गया है क्योंकि कोई प्रविष्टि ही उसमें नहीं की गई थी। इसलिये अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा निर्मित की जावे जिसका भी विशेष लोक अभियोजक ने अपने तर्कों में विरोध किया है। रोजनामचासान्हा पुलिस की कार्यवाही की निष्पक्षता और नियमों का अनुसरण करते हुए कार्यवाही को बल प्रदान करता है। ऐसे में रोजनामचा सान्हा प्रकरण के लिये महत्वपूर्ण दस्तावेज था। लेकिन रोजनामचासान्हा पेश न किया जाना, जबकि कार्यवाही कई चरणों में बताई गई, प्रकरण के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। विवेचक की अभिसाक्ष्य के दौरान भी इस संबंध में प्रतिपरीक्षा में सुझाव दिये जाने के बावजूद रोजनामचासान्हा प्रस्तुत करने न करने का कोई कारण प्रकट नहीं किया गया है न ही उसके लिये कोई कार्यवाही की गई। ऐसे में बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि रोजनामचासान्हा अवश्य ही अभियोजन के मामले के प्रतिकूल रहा होगा अन्यथा उसे साक्ष्य में पेश किया जाता।
21. जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी न होने से इस संबंध में अ0सा0-8 एवं 11 की साक्ष्य उक्त परिस्थितियों में विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं रह जाती है। इसलिये प्र0पी0-8 का जप्ती पत्रक संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। हालांकि जो बंदूक जप्त होना बताई गई है वह उसके लायसेन्सधारी नायकसिंह राठौर को सुपुर्दगी में अवश्य दी गई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बंदूक जो कि नायक सिंह की लायसेन्सी थी वह घटना के करीब 10-11 दिन बाद बरामद होना बतायी है और जिस रूप में उसे बरामद किया गया है वह स्वभाविक नहीं है। इसलिये लूट संबंधी आरोप विचाराधीन आरोपी मन्टू के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे उक्त मूल्यांकन के आधार पर संदेह से परे कतई प्रमाणित नहीं होते हैं।
22. अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 16-17 जून-2008 के बीच की रात अमायन तिराहा थाना मौ के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में परिवारी रघुवीर और उसके साथी के 53 बकरे बकरियों, एक टाटा गाड़ी क्रमांक-एम0पी0-07एल-672 लूटी की फलतः आरोपी मन्टू उर्फ केशव को धारा-392 भा0द0वि0 एवं धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
23. आरोपी मन्टू उर्फ केशव न्यायिक निरोध में है उसकी दोषमुक्ति की सूचना जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रेषित की जाये और उसके जेल वारंट पर भी टीप लगाई जाये।
24. प्रकरण में आरोपी पंचम अभी फरार है अतः उनके निराकरण उपरांत ही जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में अंतिम निराकरण किया जायेगा अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।
25. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: **2 अगस्त 2016**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड